ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत तहसील शाहपुर व जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश

के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 {क } प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती राजेश्वरी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री संजीव बलौरिया	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री देव राज	2008 से 05-06-16
2.	श्री संदीप कुमार	06-06-16 से 16-10-16
3.	श्री अवतार सिंह	17-10-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1	8	अनुदानों का अवरोधन ।	11.73
2	9	व्यय से सम्बंधित बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे।	0.37
3	10	औपचारिकता के बिना खरीद करने बारे।	12.44
4	11	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना ।	14.45

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-02-2018 से 20-02-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय नेरटी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /15 ,08/15 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 12/14, 01/16 व 12/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नेरटी , विकास खण्ड रैत , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 67 दिनांक 24-02-18 द्वारा सचिव, पंचायत नेरटी से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत **नेरटी** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत नेरटी के अवधि1-4-2014 से 31-3-2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	115807	85256	201063	36483	164580
2015-16	164580	83307	247887	60259	187628
2016-17	187628	116841	304469	203403	101066

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत नेरटी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	529453	3455196	3984649	3352962	631687
2015-16	631687	5097895	5729582	4350454	1379128
2016-17	1379128	4881133	6260261	5087170	1173091

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Rait	50051963572	64258
2.	KCCB Rait	50051963583	18396
3.	KCCB Rait	50055908324	39526
4.	KCCB Rait	50055328650	190800
5.	KCCB Rait	50051963470	625
6.	KCCB Rait	50051963538	90686
7.	KCCB Rait	50051963550	34824
8.	KCCB Rait	50055328649	12311
9.	KCCB Rait	50051963549	580464
10.	KCCB Rait	20040016526	109731
11.	KCCB Rait	50056340790	122319

12.	KCCB Rait	50059976516	10229
		TOTAL	**1274169**

(क) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2) ₹1274157

(ख) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1274169

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत **नेरटी** की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था 1जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में 12 (1274157-1274169) का अन्तर था जिसका मिलान किया जाए तथा भविष्य में भी पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract)का तैयार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को एक आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्धारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष , 2016-17 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत: उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.09 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31-3-17 निम्न विवरणानुसार ₹8900 गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए:

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	3830	19000	22830	22830	0
2015-16	0	19100	19100	19100	0
2016-17	0	78000	78000	69100	8900

8 अनुदान ₹11.73 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1173091** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के

व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 ₹0.37 लाख के भुगतान से सम्बंधितबिल/वाउचर प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 99(4) तथा इसी अधिनियम की धारा 135 व 136 व हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) के उपवन्धों के अध्यधीन,सचिव या पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का लेखापाल होगा जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन/सदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम व अभिलेख के लिए उत्तरदायी होगा। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार **₹37180 के** प्रमाणक/वाउचर आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे जिनके अभाव में अंकेक्षण द्वारा व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बंधित उत्तरदायी से की जाए।

क्रम सं	रोकड़ बही पृष्ठ सं	माह	प्रमाणक सं	राशि	विवरण	टिप्पणी
1.	16	12/14	06	25000	----	वाटर शेड निधि
2.	16	12/14	07	12180	---	वाटर शेड निधि
			जोड़	**37180**		

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹12.44 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1243525** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता

को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹14.45 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज व जारी करने से सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹1444905** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर प्रकरण है। अतः अब उक्त निर्माण सामग्री की नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ (खपत विवरण सहित) की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

12 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
2	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
3	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
4	रसीद बुक रजिस्टर
5	खाताबही

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 निष्कर्ष :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्त/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)195/2018 खण्ड–1–4380–4383 दिनांक 18.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881